


12/02/26


पत्रावली में वादी व इनके वकील उपस्थित होकर  
प्रार्थना पत्र वास्तु पत्रावली पेशी पर लेने एवं  
वाद जरिये विद्वां खरिज करने का वेश किया  
शामिल मिलल हो। पत्रावली पेशी नारीख पर  
ली जाकर वकील वादी को सुना गया।  
वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी उक्त  
वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है।  
वादी वकील को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी वकील  
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये वादपत्र विद्वां का  
स्वीकार किया जाकर वाजस्व वाद श्की स्तर पर  
जरिये विद्वां खरिज किया जाता है। पत्रावली  
केशल शुभार होकर डाकिले शफलर हो एवं  
जबर से कम हो।



Dinesh  
Jain

विद्वां एड.  
(व. वादी)



  
सहायक कलक्टर  
(SDO) चौहदन